न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 109 / 2021

प्रार्थी

राणाराम पुत्र जोधाराम
जाति सुथार उम्र 43 साल
निवासी – विष्णु मन्दिर
का वास एड सिणधरी
तहसील सिणधरी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. मूलाराम पुत्र खीयाराम उम्र 72 साल जाति जाट
2. चौनाराम पुत्र डालूराम उम्र 65 साल जाति जाट
3. मोटाराम पुत्र डालूराम उम्र 60 साल जाति जाट
4. ताजाराम पुत्र भुराराम उम्र 65 साल जाति जाट
5. खेमाराम पुत्र किरताराम उम्र 50 साल जाति जाट
6. चिमाराम पुत्र किरताराम उम्र 40 साल जाति जाट
7. नानगाराम पुत्र अमराराम उम्र 55 साल जाति जाट
8. लाभुराम पुत्र अमराराम उम्र 45 साल जाति जाट
9. राऊराम गोदपुत्र कुम्भाराम उम्र 35 साल जाति जाट
10. नथाराम गोदपुत्र हमाराम उम्र 60 साल जाति जाट
11. रावता राम पुत्र जोधाराम उम्र 52 साल जाति सुथार
12. खेताराम पुत्र जोधाराम उम्र 38 साल जाति सुथार

निवासी – विष्णु मन्दिर का वास एड सिणधरी तहसील सिणधरी
जिला बाड़मेर

13. श्रीमान तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री रामजीवन विशनोई, प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.10.11 16:25:32 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

दिनांक 20.09.2023

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी का खेत मौजा विष्णु मन्दिर का वास पटवार क्षेत्र एड सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में खसरा नम्बर 59 / 5 रकबा 0.5744 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 61 / 3 रकबा 3.1227 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार

के कोई पक्की माते या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत मौजा विष्णु मन्दिर का वास पटवार क्षेत्र एड सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में खसरा नम्बर 59/5 रकबा 0.5744 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 61/3 रकबा 3.1227 हैक्टेयर की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत मौजा विष्णु मन्दिर का वास पटवार क्षेत्र एड सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में खसरा नम्बर 59/5 रकबा 0.5744 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 61/3 रकबा 3.1227 हैक्टेयर आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा मौजा विष्णु मन्दिर का वास पटवार क्षेत्र एड सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में खसरा नम्बर 59/5 रकबा 0.5744 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 61/3 रकबा 3.1227 हैक्टेयर की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि मौजा विष्णु मन्दिर का वास पटवार क्षेत्र एड सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में खसरा नम्बर 59/5 रकबा 0.5744 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 61/3 रकबा 3.1227 हैक्टेयर प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से [illegible] है [illegible] प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अ[illegible] भूमि [illegible] पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थी [illegible] विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.10.11 16:25:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधि
सिणधरी

5. लिहाजा,प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा विष्णु मन्दिर का वास पटवार क्षेत्र एड सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में खसरा नम्बर 59/5 रकबा 0.5744

हैक्टेयर, खसरा नम्बर 61/3 रकबा 3.1227 हैक्टेयर के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिश्नर [illegible]00/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.10.11 16:25:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 20.09.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।